न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 038/2025 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 21.04.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/38

गोवर्धन सिंह पिता लादू सिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी जवानपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–पटवारी पटवार हल्का पिपलवास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–भूमिधारी उप तहसीलदार, भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा प्रकरण संख्या 737/2025 निर्णय दिनांक 14.02.2025

उपस्थितिः–1– श्री रतनलाल कुमावत (सरलाई), अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.12.2025

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का ग्राम जवानपुरा, पटवार हल्का पिपलवास के आराजी नम्बर 617/540, 618/540 रकबा 0.05 है. किस्म खेल मैदान की भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 14.02.2025 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्र. सं. 38/2025 (रा. अ.)
गोवर्धन सिंह पिता लादू सिंह राजपूत निवासी जवानपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम पटवारी, पटवार हल्का पिपलवास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, भादसोड़ा ने पटवार हल्का पिपलवास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम जवानपुरा की आराजी संख्या 617/540 एवं आराजी संख्या 618/540 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित भूमि खेल मैदान की होना मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि उक्त विवादित भूमि खेल मैदान की नहीं है। वर्ष 1990 से उक्त भूमि पर अपीलांट का मकान बना होकर विस्थापित ग्राम बसाने से अपीलांट का मकान बना हुआ है किन्तु तत्कालीन पटवारी ने अपीलांट के मकानात वाले आराजी नम्बर के स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवानपुरा के खेल मैदान का नक्शा तरमीम कर दिया है जिसके इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही सहायक कलक्टर, भदेसर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.03.2025 को मौके से बेदखल करने की धमकी देने से हुई तथा जानकारी होते ही नकल निर्णय प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से राय प्राप्त कर नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी जो देरी हुई उसे क्षम्य किये जाने हेतु अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.02.2025 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जवानपुरा के खेल मैदान की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बाडा बना रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट ने विवादित भूमि पर वर्ष 1990 से मकान बनाकर निवास करने का कथन किया है तथा दिनांक 08.12.2025 को विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

पटवार हल्का पिपलवास की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जवानपुरा की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 617/540 एवं 618/540 रकबा 0.05 किस्म खेल मैदान की भूमि पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर पक्का निर्माण कर बाड़ा बना रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी उप तहसीलदार, भादसोड़ा द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का विवादित आराजीयात खेल मैदान की भूमि नहीं होकर उनके मकानात की आराजीयात होकर तत्कालीन पटवारी द्वारा गलत नक्शा तरमीम कर देने से इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही सहायक कलक्टर, भदेसर के न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली एवं शास्ति का आदेश पारित करने का कथन है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत लम्बित कार्यवाहियां एक तरह की संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) है जिन्हें बिना किसी ठोस/पर्याप्त कारण के बहुत अधिक लम्बे समय तक लम्बित रखा जाना उचित नहीं है।

प्र. सं. 38/2025 (रा. अ.)
गोवर्धन सिंह पिता लादू सिंह राजपूत निवासी जवानपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम पटवारी, पटवार हल्का पिपलवास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

पटवार हल्का पिपलवास की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम जवानपुरा की आराजी नम्बर 617/540 एवं आराजी नम्बर 618/540 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। यह भूमि खेल मैदान की भूमि होकर प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2025 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)